झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

CIN: U40108JH2013SGC001704

पंजीकृत कार्यालय :एस एल डी सी भवन, कुसई कॉलोनी, डोरन्डा, रांची - 834002, झा

वरीय प्रबंधक का कार्यालय, संचरण प्रमंडल, हजारीबाग

प्रमंडल कार्यालय : शृंगारी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, कनहरी हिल पथ, मॉन्ट फोर्ट विद्यालय के निकट, हजारीबाग- 825301

ई-मेल : eeetdhzb@gmail.com

पत्रांक: 671 /वरीय प्रबंधक/सं०प्र० ह०बाग   दिनांक: 24/12/2022

प्रेषक

वरीय प्रबंधक
संचरण प्रमंडल, हज़ारीबाग,

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल

विषय:- 132 kV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत 23.3355 हे० वन भूमि अपयोजन के संबंध में ।

प्रसंग : (i) आपके कार्यालय का पत्रांक – 2248 ; दिनांक – 28.11.2022
(ii) इस कार्यालय का पत्रांक - 567 ; दिनांक - 14.11.2022
(iii) आपके कार्यालय का ज्ञापांक – 2147 ; दिनांक – 05.11.2022
(iv) Letter No.- FP/JH/TRANS/50112/2020(Pt)/604; Dtd.-11.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा विषयगत ट्रांसमिशन लाइन हेतु स्टेज- I हेतु प्रस्ताव पर की गई पृक्षा के आलोक में एवं आपके कार्यालय के ज्ञापांक - 2147; दिनांक - 05.11.2022 के आलोक में इस कार्यालय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन पत्रांक - 567 ; दिनांक - 14.11.2022 द्वारा समर्पित की गई थी ।

चूंकि उक्त परियोजना झारखण्ड राज्य के विकास के लिए चतरा जिला की एक महत्वकांक्षी एवं महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा नव निर्मित 132/33 के0वी0 चतरा (डाढ़ा) ग्रिड सब-स्टेशन से प्रस्तावित 132/33 के0वी0 हंटरगंज ग्रिड सब-स्टेशन को जोड़ा जाना है ताकि चतरा, हंटरगंज एवं आस-पास के प्रखंडों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति कर क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो सके ।

महाशय, परियोजना को समय पर पूरा करने को ध्यान में रखकर जिस भूमि से खेती हो रही थी, उस भूमि को स्थानीय जन-प्रतिनिधि (मुखिया) द्वारा सत्यापित कराकर नियमानुसार क्षतिपूर्ति की राशि चेक के माध्यम से भुगतान करा कर कार्य किया गया जिसकी छायाप्रति पूर्व में समर्पित की गई है ।

Forest तथा Non-Forest की boundary का पता नहीं चल पाने के कारण भूलवश कुछ टावरों का निर्माण जंगल-झाड़ी भूमि पर कर दिया गया है । कार्य के दौरान वन विभाग द्वारा सूचना मिलते ही कार्य को अविलंब रोक दिया गया तथा बाद में दूसरा कार्य भी नहीं किया गया।

महाशय भूलवक्ष हुए टावरों के निर्माण कार्य के दौरान कभी भी किसी भी वृक्ष को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई गई है और ना ही जीव-जन्तु को कोई नुकसान पहुंचाया गया है । बाद में उक्त टावरों पर कोई कार्य भी नहीं किया गया है और न ही उसपर stringing (तार लगाने का कार्य) किया गया है ।

अतः महाशय से अनुरोध है कि उक्त तथ्यों को देखते हुए एवं झारखण्ड के जन-जन तक विद्युत आपूर्ति पहुँचने हेतु परियोजना कि महत्वता को देखते हुए अग्रतर कार्यवाही हेतु अग्रसारित ।

अनुलग्नक : यथोपरि

विश्वासभाजन

21.12.22

वरीय प्रबंधक,
संचरण प्रमंडल, हज़ारीबाग